न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय – 02, गाजियाबाद।

प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 4520/2025

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या 9013/2025

CNR NO. UPGZ0101–8935–2025

1. नैनसी सिंह पुत्री ब्रजेश प्रताप सिंह निवासी प्लाट सं० 55 डी०एल०डब्लू० कंचनपुर, वाराणसी।

बनाम **राज्य।**

दिनांकः–18.12.2025

अभियुक्ता नैनसी सिंह पुत्री ब्रजेश प्रताप सिंह द्वारा नियमित जमानत प्रार्थनापत्र 4520/2025 थाना इंदिरापुरम, गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 1207/2025 में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त अभियुक्ता द्वारा उपरोक्त नियमित जमानत प्रार्थनापत्र में उसे अपराध अंतर्गत धारा 108 BNS 2023 के संबंध

में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। अभियुक्ता का प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र सर्वेश प्रताप सिंह पुत्र राम अनमोल सिंह/ पैरोकार के शपथपत्र से समर्थित है।

अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उसके नियमित जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए यह कथन किया गया है कि अभियुक्ता को प्रस्तुत प्रकरण में झूठा एवं रंजिशन फंसाया गया है। वह निर्दोष है। उसका प्रस्तुत प्रकरण से कोई लेना देना/वास्ता ताल्लुक किसी भी प्रकार का नहीं है। अभियुक्ता कथित घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं थी। अभियुक्ता द्वारा किसी को भी आत्महत्या के लिए नहीं उकसाया गया है और ना ही कोई कथित अपराध कारित किया गया है। अभियुक्ता का कोई रोल किसी भी प्रकार का मृतक के सुसाईड करने से नहीं है। मृतक रजत प्रताप सिंह कॉलेज में अभुियक्ता का सीनियर था,तब से ही अभियुक्ता व मृतक की जान पहचान थी तथा उसके उपरांत मृतक सैक्टर 62 नोएडा, गौतमबुद्धनगर में न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड में जॉब करता था तथा अभियुक्ता एक्सपेक्टो आई०टी० सॉल्यूशन्स प्रा०लि० सैक्टर 63 नोएडा गौतमबुद्धनगर में जॉब करती है। मृतक द्वारा अभियुक्ता को बताया कि उसकी अमरीका में किसी से बातचीत हुई है जिसके द्वारा बताया गया है कि वह 90 लाख रुपये के वार्षिक पैकेज पर अमेरिका में नौकरी लगवा देगा। मृतक ने यह भी बताया कि वह 30 लाख रुपये में आना जाना, वीजा आदि मुहैय्या करायेगा जिसपर विश्वास करके अभियुक्ता ने उक्त धनराशि की पार्ट पेमेंट के रुप में 50 हजार रुपये पेटिएम के माध्यम से एवं 2 लाख रुपये नगद अर्थात कुल 2.50 लाख रुपये मृतक को अदा कर दिये। दिनांक 03.11.2025 मृतक ने अभियुक्ता को मिलने के लिए समय करीब 7–8 बजे बुलाया था जिस पर अभियुक्ता मृतक से मिलने के लिए पहुंची वहां मृतक से अभियुक्ता की बात हुई तो उसने अभियुक्ता से कहा कि सारी बातचीत हो गयी है और आपको सारी पेमेंट नगद रुप में देनी है जिसपर अभियुक्ता ने कहा कि वह शीघ्र ही पैसों का इंतजाम कर लेगी और अभियुक्ता वापस आ गयी। इसके अलावा अभियुक्ता व मृतक के बीच कोई बातचीत नहीं हुई मात्र मृतक ने अभियुक्ता को पैसों का इंतजाम करने के लिए कहा था जिस पर अभियुक्ता ने हामी भर दी थी। उसके उपरांत यदि दिनांक 05.11.2025 को मृतक द्वारा सुसाईड किया गया है तो उसके लिए अभियुक्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं है बल्कि मृतक द्वारा आत्महत्या करने के कारण अभियुक्ता का 2.50 लाख रुपया भी डूब गया है। मृतक के पिता द्वारा

अभियुक्ता से नाजायज धनराशि ऐंठने व अभियुक्ता पर नाजायज दबाव बनाने की नीयत से थाना हाजा की पुलिस द्वारा अभियुक्ता को उक्त मुकदमें में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना दिनांक 05.11.2025 को समय 09:30 बजे की बतायी गयी है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 21.11.2025 को समय 01.55 बजे देरी से खूब सोच समझकर दर्ज करायी गयी है और देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उपरोक्त मुकदमें में अभियुक्ता बिना किसी अपराध के ही जिला कारागार गाजियाबाद में निरुद्ध है। अभियुक्ता एक सम्मानित परिवार की युवती है तथा उसके द्वारा उक्त अपराध कारित किया जाना संभव नहीं है। अभियुक्ता को यदि न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह न्यायालय की संतुष्टि हेतु कोई भी अंडरटेकिंग देने को तैयार है। अभियुक्ता का न्यायालय के क्षेत्राधिकार से भागने व गवाहान को तोड़ने का कोई अंदेशा नहीं है। अतः प्रार्थना की है कि दौरान वाद विचारण उसे जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

मेरे द्वारा अभियुक्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को, वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को अभियुक्त के उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया है तथा जमानत प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत संबंधित प्रपत्रों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अभियुक्ता को जमानत प्रदान किये जाने का घोर विरोध किया गया है तथा अभियुक्ता का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

मेरे द्वारा अभियुक्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुनने के उपरांत संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 1207/2025 थाना इंदिरापुरम, गाजियाबाद की केस डायरी एवं अन्य पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन पर ज्ञात है कि प्रकरण 1207/2025 थाना इंदिरापुरम पर वादी संजीव प्रताप सिंह पुत्र कवल सिंह भाटी की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 12.11.2025 को नामित अभियुक्तगण नैनसी सिंह, उज्ज्वल यादव व इनके अज्ञात साथी एवं होटल के स्टॉफ के विरुद्ध अंतर्गत धारा 108 BNS पंजीकृत किया गया है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट पर वादी के द्वारा कथन किया गया है कि उसका पुत्र रजत प्रताप सिंह नोएडा में एक निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दिनांक 05.11.2025 को समय 09:30 बजे वादी अपने बेटे की तलाश करता हुआ इंदिरापुरम थानाक्षेत्र के शक्तिखंड –3 स्थित होटल ओवन पहुंचा तो पता चला कि उसके बेटे का शव कमरा नंबर 203 में लटका मिला। प्रार्थी होटल पहुंचने से पहले होटल स्टॉफ ने कमरे का गेट तोड़ दिया था। पुलिस होटल में मौजूद थी। दिनांक 02.11.2025 को प्रार्थी के पुत्र रजत प्रताप सिंह ने होटल में कमरा नंबर 205 किराये पर लिया था। उसके साथ नैनसी सिंह नाम की लड़की भी थी। प्रार्थी के बेटे को नैनसी सिंह व उज्ज्वल यादव ने अत्याधिक प्रताड़ित किया होगा। यह प्रार्थी को पूरा विश्वास है कि प्रार्थी के पुत्र के उपरोक्त दोनों व इनके सहयोगियों ने आत्महत्या के लिए विवश किया है। इसमें होटल स्टाफ की भी मिलीभगत भी लगती है। प्रार्थी रिपोर्ट लिखाने आया है। प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

यह प्रथम सूचना रिपोर्ट, जैसा कि चिक एफ०आई०आर० संख्या 1207/2025 के अवलोकन से ज्ञात है, थाना इंदिरापुरम, गाजियाबाद पर दिनांक

12.11.2025 को समय 01:55 घंटे पर पंजीकृत की गयी है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के स्तर पर इस न्यायालय को प्रस्तुत प्रकरण मुकदमा अपराध संख्या 1207/2025 थाना इंदिरापुरम की अद्यतन केस डायरी, केस डायरी सं० 8 दिनांकित 10.12.2025 तक प्राप्त करायी गयी है। प्रकरण की विवेचना अभी लंबित है। थाना इंदिरापुरम के निरीक्षक अनिल वर्मा द्वारा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के माध्यम से अभियुक्ता के उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र के संबंध में प्रस्तरवार आख्या भी उपलब्ध करायी गयी है।

विवेचक के द्वारा केस डायरी सं० 3 पर दूरभाष के माध्यम से वादी से संपर्क किये जाने तथा वादी द्वारा अपने पुत्र मृतक रजत के बैंक खाता संख्या 710211610000194 (बैंक ऑफ इण्डिया), बैंक खाता संख्या 5010044784262 (HDFC बैंक), बैंक खाता सं० 628501573289 (आईसीआईसीआई बैंक) की तथा मृतक रजत के मोबाईल नंबर 8979895629 की सूचना प्रदान किये जाने के संबंध में उल्लेख किया गया है। विवेचक द्वारा बैंक खाता संख्या 628501573289 का छः माह का विवरण प्राप्त कर रजत द्वारा किये गये ट्राजेक्शन का अवलोकन किया गया है तथा यह पाया गया है कि दिनांक 01.10.2025 को अंकन रुपये 49,900/– का ट्राजेक्शन गीता संजीव के नाम पर आईएमपीएस किया गया। तथा दिनांक 01.11.2025 को उज्जवल यादव को 5000/– रुपये व 25,000/– रुपये का ट्राजेक्शन किया गया। विवेचक द्वारा बैंक खाता सं० 5010044784262 का छः माह का विवरण प्राप्त कर अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 02.05.2025 को 6673/– रुपये, दिनांक 30.05.2025 को 5000/– रुपये, दिनांक 14.06.2025 को 1000/– रुपये, दिनांक 14.07.2025 को 23,270/– रुपये, दिनांक 14.07.2025 को 895/– रुपये, दिनांक 17.07.2025 को 15,000/– रुपये दिनांक 01.08.2025 को 58,500/– रुपये, दिनांक 05.08.2025 को 710/– रुपये का भुगतान नैनसी सिंह को यूपीआई के जरिये किया गया है तथा दिनांक 01.09.2025 को 30,000/– रुपये उज्जवल यादव को जरिये यूपीआई किये गये हैं। विवेचक द्वारा बैंक खाता संख्या 710211610000194 का छः माह का विवरण प्राप्त कर अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 27.08.2025 को 2500/– रुपये दिनांक 19.08.2025 को 10,000/– रुपये, दिनांक 01.08.2025 को 2000/– व 3000/– व 3000/– व 2500/– व 5000/– व 1500/– रुपये दिनांक 03.08.2025 को 2300/– व 1700/– व 2000/– व 1000/– व 2000/– व 3000/– व 3000/– रुपये दिनांक 07.09.2025 को 3750/– रुपये दिनांक 04.09.2025 को 5100/– रुपये दिनांक 13.08.2025 को 2500 व 1000/– व 700/– व 1150/– व 1300/– व 1300/– व 1006/– व 5000/– रुपये दिनांक 06.08.2025 को 3500/– व 1500/– व 3000/– व 6500/– रुपये दिनांक 12.08.2025 को 2000/– व 18,000/– व 15,000/–रुपये दिनांक 08.08.2025 को 6000/– रुपये दिनांक 16.08.2025 को 12,000/– व 25,000/– रुपये दिनांक 19.08.2025 को 24,000/– व 10,000/– व 24,000/– रुपये नैनसी सिंह को जरिये यूपीआई किये गये हैं। विवेचक द्वारा उक्त सूचना के संबंध में उपरोक्त खातों से संबंधित बैंक स्टेटमेंट संबंधित बैंकों से प्राप्त कर अवलोकन कर केस डायरी पर अंकित करने के उपरांत केस डायरी के साथ संलग्न किये गये हैं।

वादी मुकदमा द्वारा अपने बयान में विवेचक को यह बताया गया है कि उसका

पुत्र मृतक रजत प्रताप सिंह, नोएडा की एक निजी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर था। दिनांक 05.11.2025 को समय 09:30 बजे वह अपने बेटे की तलाश करता हुआ इंदिरापुरम थानाक्षेत्र के शक्तिखंड 3 स्थित होटल वन पहुंचा तो पता चला कि उसके बेटे का शव कमरा नंबर 203 में लटका मिला, उसके होटल पहुंचने से पहले होटल स्टाफ ने कमरे का गेट तोड़ दिया था। पुलिस होटल में मौजूद मिली। दिनांक 02.11.2025 को उसके पुत्र रजत प्रताप सिंह ने होटल में कमरा नंबर 205 किराये पर लिया था। उसके साथ नैनसी सिंह नाम की लड़की भी थी। उसके बेटे को नैनसी सिंह व उज्ज़वल यादव ने अत्याधिक प्रताड़ित किया होगा। यह उसको पूरा विश्वास है कि उसके पुत्र को उपरोक्त दोनों व इनके सहयोगियों ने आत्महत्या के लिए विवश किया होगा। इसमें उसे होटल वन स्टाफ की भी मिलीभगत लगती है। विवेचक द्वारा वादी मुकदमा से कुछ प्रश्न भी किये गये हैं। उक्त प्रश्नों के उत्तर में वादी के द्वारा कथन किया गया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उसका बेटा रजत नैनसी सिंह नाम की लड़की को पहले से जानता था। उसे तो घटना के समय ही यह बात मालूम चली कि होटल में उसके बेटे के साथ नैनसी सिंह भी ठहरी हुई थी। वादी के द्वारा विवेचक को प्रश्न करने पर यह बताया गया है कि उज्ज़वल यादव उसके बेटे के साथ ही काम करता था तथा उसके बेटे का अच्छा दोस्त था। उसके बेटे रजत ने उसे बताया था कि उज्ज़वल यादव उसका अच्छा दोस्त है। दोस्ती के लिए ही उज्ज़वल यादव ने मार्च 2024 में एचडीएफसी बैंक से तीन लाख रुपये का लोन लेकर उसके बेटे की मदद की थी जो कि उसका बेटा एक अच्छी कंपनी में काम करता था जो उज्ज़वल के द्वारा दिये गये रुपयों को धीरे धीरे वापस कर रहा था। वादी मुकदमा के द्वारा विवेचक को यह बताया गया है कि उसने घटना से कुछ दिनों पहले अपने बेटे के व्यवहार में कुछ बदला नहीं देखा था वह सामान्य ही था। वादी द्वारा विवेचक को यह भी बताया गया है कि उसका पुत्र शराब व सिगरेट का सेवन नहीं करता था।

विवेचक के द्वारा मृतक रजत प्रताप सिंह की पोस्टमोर्टम रिपोर्ट का उल्लेख केस डायरी पर किया गया है। मृतक का पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट क्रमांक संख्या 1802/2025 है। जिस पर मृतक की मृत्यु के कारण में asphyxia due to antemortem hanging अंकित है। उक्त पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मूल रुप में केस डायरी पर संलग्न है। विवेचक के द्वारा वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल कमरा नंबर 203 शक्ति खंड 3 स्थित वन होटल का निरीक्षण कर उक्त घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया है। केस डायरी के पर्चा सं० 5 पर विवेचक के द्वारा यह अंकित किया गया है कि मुकदमा उपरोक्त के मृतक के मोबाईल नंबर 8979895029 की सी०डी०आर० हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी। एक माह का सी०डी०आर० प्राप्त होने पर अवलोकन किया गया तो पाया गया कि उक्त मोबाईल नंबर का प्रयोग मृतक रजत भाटी के द्वारा किया जा रहा था। उक्त मोबाईल नंबर पर नामजद अभियुक्ता नैनसी सिंह द्वारा मोबाईल नंबर 9219651393 से भिन्न भिन्न दिनांकों में लगातार संपर्क किया जाता रहा है। जो कभी नैनसी सिंह के द्वारा व कभी रजत के द्वारा कॉल किया जाता रहा है। घटना के एक दिन पहले दिनांक 04.11.2025 को समय 17:49:44 बजे भी नामजद अभियुक्ता नैनसी सिंह के द्वारा मृतक रजत को कॉल किया गया है जो 77 सैकेण्ड की कॉल रही है। दिनांक 29.10.2025 समय 12:13:05 बजे मृतक रजत के द्वारा अभियुक्ता नैनसी सिंह को कॉल किया गया है जो कि 532 सैकेण्ड की कॉल की गयी है।

विवेचक के द्वारा केस डायरी सं० 5 दिनांकित 02.12.2025 पर वादी संजीव प्रताप सिंह का बयान बतौर गवाह पंचायतनामा अंकित किया गया है। विवेचक के द्वारा

पुनः वादी से प्रश्न किये गये हैं। वादी के द्वारा विवेचक के द्वारा उक्त प्रश्नों के उत्तर में बताया गया है कि दिनांक 04.11.2025 को शाम को उसकी पत्नी गीता ने रजत को फोन किया लेकिन फोन नहीं लगा तो उसने (वादी ने) अपने भांजे विश्वेंद्र को फोन कर बताया कि पता लगाये। विश्वेंद्र ने रजत के सभी दोस्तों को बताया कि रजत के बारे में पता लगाये। लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली थी। नैनसी ने नीरज को फोन कर बताया कि वसुंधरा के होटल में जाकर पता करें। नीरज ने दिनांक 05.11.2025 को समय 03:30 बजे जाकर पता किया तो होटल वाले ने कोई जानकारी नहीं दी। फिर नैनसी ने अंकित को इंस्टाग्राम ankitraaz9 पर कॉल करके उस होटल में जाकर पता करने को कहा तो अंकित ने जाकर पता किया तथा जिस कमरे में था उस कमरे का दरवाजा खुलवाया गया तो दरवाजा नहीं खुला। जिसकी जानकारी अंकित ने विश्वेंद्र को दी और विश्वेंद्र ने वादी को बताया तो वह इसी जानकारी के मिलने पर होटल में पहुंचा था।

विवेचक के द्वारा होटल कर्मचारी रोशन कुमार पुत्र विश्नराम का बयान अंकित किया गया है, जिसमें उक्त साक्षी के द्वारा विवेचक को बताया गया है कि दिनांक 02.11.2025 को शाम के 07:00 बजे से ड्यूटी पर था। समय 08:40 बजे शाम को रजत प्रताप सिंह होटल वन (ओयो) पर आया था जिसका कमरा नंबर 203 में रुम बुक किया गया था जो कि दिनांक 04.11.2025 को रुम नंबर 203 की साफ सफाई के कारण पर रुम नंबर 205 में शिफ्ट हो गया था जिसे रजिस्टर में अंकित नहीं किया गया था बल्कि अलग से एक अन्य रजिस्टर में अंकित किया गया था। दिनांक 05.11.2025 को जिस दिन की यह घटना है उस दिन भी वह ड्यूटी पर ही मौजूद था। उसे सुबह 08:30 बजे रजत के जानने वाले से पता चला कि रुम नंबर 205 का दरवाजा नहीं खुल रहा है जिस पर उसने व होटल के अन्य कर्मचारी और उसके दोस्त के साथ उस रुम में जाकर दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया अंदर से कोई हलचल नहीं हो रही थी दरवाजा भी नहीं खुल रहा था पुलिस को सूचना दिये जाने पर पुलिस के आ जाने पर दरवाजे में लगी पट्टी को हटाकर तोड़कर दरवाजे को बाहर से हाथ डालकर खोला गया था जिसके बाद पुलिस के साथ अंदर जाकर देखा तो रजत बिस्तर पर बिछायी जाने वाली सफेद रंग की चादर से बैड के ऊपर छत पर लगी हुई कड़ियों के सहारे जो दीवार में अंदर लगी हुई थीं फंदा लगाकर के लटका हुआ मिला। जिसे पुलिस के द्वारा फंदे से नीचे उतारा गया था। उस समय वह वहीं मौजूद था। विवेचक के द्वारा उक्त साक्षी से भी कुछ प्रश्न किये गये हैं। जिनके उत्तर में उसके द्वारा बताया गया है कि मृतक रजत दिनांक 02.11.2025 को समय करीब 08:40 पर शाम को होटल में आया था जिसकी हमने अपने रजिस्टर में एंट्री भी करायी थी। इस साक्षी के द्वारा विवेचक को यह भी बताया गया है कि दिनांक 02.11.2025 को मृतक के साथ कोई लड़की नहीं आयी थी। दिनांक 03.11.2025 को नैनसी नाम की लड़की रजत से मिलने होटल में उसके रुम में आयी थी। साक्षी के द्वारा विवेचक के यह पूछने पर कि दिनांक 02.11.2025 को रजत की एंट्री के समय नैनसी का नाम रजिस्टर में अंकित किया गया है और वह बता रहा है कि दिनांक 03.11.2025 को नैनसी रजत से मिलने आयी थी, साक्षी द्वारा विवेचक को यह उत्तर दिया गया है कि नैनसी दिनांक 03.11.2025 को ही रजत से मिलने होटल में शाम को 07:00 बजे आयी थी जो एक सवा घंटे उसके साथ रुम में रही थी। साक्षी द्वारा विवेचक को यह बताया गया कि दिनांक 03.11.2025 के उपरांत नैनसी नहीं आयी थी। साक्षी का यह भी कहना है कि दिनांक 05.11.2025 को जब यहां सब लोग मौजूद थे तब नैनसी यहीं थी। विवेचक को इस साक्षी के द्वारा यह भी बताया गया है कि दिनांक 04/05 की रात में रजत को ढूंढने एक

लड़का आया था जो पूछ रहा था क्योंकि रजत का रुम चेंज हुआ था उसे इस बारे में जानकारी नहीं थी जिस कारण उसने मना कर दिया था। सुबह में एक और लड़का आया हुआ था जिसके साथ कमरों में जाकर के जानकारी की गयी थी और यह वाक्यात हुआ।

विवेचक के द्वारा होटल कर्मचारी गौरव आर्या का बयान अंकित किया गया है विवेचक के द्वारा होटल के स्टाफ से होटल में आने जाने वाले तथा रुकने वाले व्यक्तियों की डिटेल मांगी गयी है जो उसे उपलब्ध करायी गयी है जिसे उसके द्वारा केस डायरी पर संलग्न किया गया है। विवेचक के द्वारा होटल के कर्मचारियों से सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पैनड्राईव में प्राप्त की गयी है। विवेचक के द्वारा मृतक रजत का मोबाईल व अन्य सामग्री एकत्रित कर मालखाना में दाखिल की गयी है।

विवेचक के द्वारा अभियुक्ता नैनसी सिंह का बयान अंकित किया गया है। अभियुक्ता के द्वारा विवेचक को बताया गया है कि वह दिनांक 03.11.2025 को मृतक से मिलने शाम के समय लगभग 07:15 बजे इंदिरापुरम के होटल वन में गयी थी। लगभग एक घंटा वह वहां पर रुकी थी वहां पर सामान्य बातचीत हुई थी और ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। वह उसी दिन एक घंटे बाद वापस आ गयी थी। उससे दिनांक 04.11.2025 को रजत के मिलने वालों ने रजत के बारे में पूछा तो उसने जानकारी दी थी कि रजत इंदिरापुरम के होटल में ठहरा हुआ है। विवेचक के पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में अभियुक्ता के द्वारा विवेचक को बताया गया है कि रजत ने उसे बताया था कि उसके माँ बाप उससे पैसे लेने तथा चार पहिया गाड़ी लेने का दबाव बना रहे हैं तथा रजत ने बताया था कि वह उनसे अभी कुछ दिनों से बात नहीं कर रहा है उनका फोन भी उन्होंने ब्लॉक कर रखा था। अभियुक्ता द्वारा विवेचक को यह पूछने पर कि रजत का बैंक डिटेल देखने पर ज्यादातर हस्तांतरण उसके साथ होना पाया गया है वह उसे पैसे क्यों देता था,यह उत्तर दिया गया है कि रजत सट्टा शेयर में पैसा लगाता था तथा काफी पैसा भी इस शेयर में लोस्ट कर बैठा था जिस कारण से वह उससे तथा कुछ अन्य लोगों से पैसे लेता रहता था। चूंकि उसकी सिविल क्रेडिट खराब थी उसे बैंक से लोन नहीं मिल रहा था जिस कारण वह दूसरे तीसरे महीने उससे लोन लेने के लिए कहता था जो वह लेती थी और उसको देती थी और रजत उसे सैलरी मिलने पर वापस लौटा देता था। अभियुक्ता के द्वारा विवेचक को अपने एचडीएफसी खाता संख्या 50100629336660, व इंडसबैंक खाता संख्या 100268088014 बताये गये हैं तथा एक अन्य खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में होना बताया गया है जिसका नंबर वह विवेचक को नहीं बता पायी है। अभियुक्ता के द्वारा अपना मोबाईल नंबर विवेचक को 9219651373 बताया गया है। अभियुक्ता द्वारा विवेचक को बताया गया है कि लोन लेने देने का साक्ष्य अभी उसके पास नहीं है, किंतु वो जानकारी कर सकता है। अभियुक्ता का कथन है कि उसके एचडीएफसी बैंक खाता संख्या 50100629336660 का एक्सेस भी मृतक रजत के पास था वो खुद ही सब लोन अप्लाई करता था और लोन मिल जाने के बाद उसके फोन से पैसे अपने खाते में ट्रांसफर कर लेता था। अभियुक्ता के द्वारा विवेचक को बताया गया है कि वह उज्ज्वल को जानती है। वह आकाश, धीरज एवं नीरज को भी जानती है।

केस डायरी के अवलोकन पर यह ज्ञात है कि प्रकरण की विवेचना अभी शेष है। अद्यतन विवेचना में विवेचक के द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर यह प्रथम दृष्टया सिद्ध है कि अभियुक्ता व मृतक रजत के मध्य पुराने समय से (अध्ययन काल से) आपसी संबंध रहे हैं। मृतक के द्वारा अभियुक्ता को विभिन्न अवसरों पर धनराशि अंतरित

किये जाने का साक्ष्य उपलब्ध है। यह भी ज्ञात है कि अभियुक्ता मृतक रजत से मिलने कथित होटल पर गयी थी। इस संबंध में होटल कर्मचारी के द्वारा विवेचक को दिये गये बयान में यह कहा गया है कि वह दिनांक 03.11.2025 को होटल पर गयी थी। इसके विपरीत विवेचक द्वारा यह पाया गया है कि अभियुक्ता की एंट्री मृतक रजत के साथ दिनांक 02.11.2025 की है। होटल में प्रवास के दौरान मृतक के द्वारा जो कमरा किराये पर लिया गया था उसे कथित रुप से साफ सफाई के कारण से बदला गया है। इसके संबंध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य /होटल के रजिस्टर में कोई प्रविष्टि होना विवेचक के द्वारा नहीं पाया गया है। मृतक एवं अभियुक्ता के मध्य अनेकों बार रुपयों का लेन देन हुआ है। अभियुक्ता का कथन है कि यह लेन देन मृतक के द्वारा उससे प्राप्त धनराशि को वापस करने के संबंध में है। मृतक एक 28 वर्षीय नवयुवक रहा है जैसा कि उसकी पोस्टमॉर्टम आख्या से ज्ञात होता है। प्रकरण गंभीर है तथा मृतक की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। इस स्तर पर, इस न्यायालय के मत में अभियुक्ता का यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी/अभियुक्ता नैनसी सिंह, की ओर से प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक 18.12.2025

(निशान्त मान)
अपर सत्र न्यायाधीश/
F.T.C.–02, गाजियाबाद।